राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1085/2024

राधेश्याम मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), जिला टोंक।
4. तहसीलदार (भू अभिलेख), दूनी, टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 19.03.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त घाड तह. दूनी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से वृत डिग्गी तह. मालपुरा 110 कि.मी. दूर बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 27.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का अल्पावधि में दो बार स्थानान्तरण किया गया है। राजस्थान भू–अभिलेख नियम के नियम 73 के अनुसार अपीलार्थी को दो वर्ष से पहले स्थानान्तरित करने के लिए संभागीय आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है और जिला कलक्टर द्वारा संभागीय आयुक्त की कोई मंजूरी नहीं ली गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 27.02.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त घाड तह. दूनी से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत डिग्गी तह. मालपुरा पदस्थापित किया गया है। उपलब्ध पदस्थापन विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर वर्ष 2021 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को यात्रा भत्ता देय करते हुए वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। जिले में ही स्थानान्तरण करने हेतु जिला कलक्टर, टोंक सक्षम है। वर्तमान स्थान पर दो वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित होने से संभागीय आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य